FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोनी देवी वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार वगै0

किस्म मुकदमा:– प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मुकदमा नम्बर:– 3 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
[illegible].1.2018	प्रार्थीगण वकील श्री सरदार सिंह बराला एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 12.01.2018 को पेश हो। [signature]	
12-1-18	पत्रावली पेश। वकलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा[illegible] /अन्य कार्य में व्यस्त/ नोटिस न हो। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-1-18 को पेश हो। Vimla	
17-1-18	पत्रावली पेश। वकलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा[illegible] /अन्य कार्य में व्यस्त/ नोटिस न हो। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-1-18 को पेश हो। [signature]	501011 / 17-1-18
19.01.18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी न० 1 की ओर से [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर उपस्थित आये एंव प्रकरण में सरकार के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। अप्रार्थी न. 2 की ओर से पटवारी हल्का मूण्डरू ने अवगत कराया कि पटवारी हल्का फुटाला का अतिरिक्त चार्ज होने तथा पटवारी हल्का के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। अप्रार्थी न. 1 व 2 ने औपचारिक पक्षकार होने से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि ~~ग्राम फुटाला के भूमि खसरा नम्बर 1199, 1213, 1230,~~ 1229, 1228 में मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है [signature]	प० [illegible] का अतिरिक्त चार्ज है। प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। [signature] 19-1-18 श्रीमाधोपुर सरकार औपचारिक पक्षकार [signature] 19-1-18

Scanned by CamScanner

श्रीमती सोनीदेवी बनाम भूमिधारी तह० व०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज (मु० नं० - 03/2018)	

एंव ना ही कभी रहा है। मौके पर खसरा नम्बर 1226, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 में प्रचलित रास्ता चला आ रहा है। खातेदारान् को सुनवाई हेतु जारी किये नोटिस खातेदारान् तक पहुँचने ही नहीं दिये गये तथा मदनलाल मीणा के द्वारा हस्ताक्षर कर नोटिस वापिस दे दिये गये। प्रार्थीगण के पास कोई तामिल कुनिन्दा नोटिस लेकर नहीं गया। प्रार्थीगण की बिना कोई तामील हुए ही गलत तामील के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कायवाही कर प्रार्थीगण को बिना कोई सुनवाई व बिना कोई जवाबदेही का अवसर दिये एक पक्षीय निर्णय आदेश दिनांक 15.2.2017 को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने अपनी वहस में किया है।

हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, नोटिस अप्रार्थीगण व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी समस्त नोटिसों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण के समस्त नोटिस एक ही व्यक्ति द्वारा लिये गये है। नोटिस लेने वाले व्यक्ति ने अपना कोई पूर्ण पत्ता इत्यादि अंकित नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त व्यक्ति कौन है एंव अप्रार्थीगण से उस व्यक्ति का क्या सम्बन्ध है। एक ही व्यक्ति के सभी नोटिस प्राप्त कर लेने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण तक नोटिस पहुँचे ही नहीं जिससे अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो सका। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के उनवानी प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् हनुमान वगै. मुकदमा नम्बर 88/2017 में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक

Scanned by CamScanner

श्रीमती सोनी देवी वगैरह बनाम आमधारी तह० वगैरह

क्रम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	एल०आर० - 03/2018	

15.02.2017 को अपास्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। उक्त पत्रावली संख्या 88/2017 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् हनुमान वगै0 को पुनः नम्बर पर लिया जावे। पक्षकारान् को सुनवाई हेतु दिनांक 28.02.2018 नियत की ज़ाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner